

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
पत्रांक : 422 / वाद सं० सी-0641 / एस-8 / 2023 एवं सी-0444 / एस-8 / 2022 दिनांक: 1/5/2024

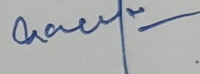
सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

विपक्षी श्री बीरू/श्री भीम बहादूर/श्री मुग्गा खान/ हितवद्ध व्यक्ति स्थल प्रेमपूर माफी कौलागढ देहरादून द्वारा प्रश्नगत स्थल पर लगभग 4 से 8 बीघा भूमि पर डिर्माकेशन/समतलीकरण,रोड विकास, व पुस्तो की सहायता से प्लाटिंग की जा रही है। मौके पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया है। अनाधिकृत निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ तथा कार्य रोके जाने की कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण में वाद सं० सी-0641 / एस-8 / 2023 एवं सी-0444 / एस-8 / 2022 योजित किया। उक्त चालान शुदा निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13/5/24 को ध्वस्त किया जाना है।

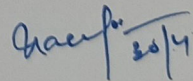
अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,



अधिशायी अभियन्ता/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

- प्रतिलिपि:-1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को प्रकरण में ध्वस्तीकरण कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का कष्ट करें।
2. संबंधित थानाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 3. समस्त सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं/अवर अभियन्ता, (इलैक्ट्रीकल्स) /समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण में ध्वस्तीकरण कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
 4. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को दो वाहन एवं ध्वस्तीकरण हेतु जे०सी० बी० से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 5. श्री बीरू/श्री भीम बहादूर/श्री मुग्गा खान/ हितवद्ध व्यक्ति स्थल प्रेमपूर माफी कौलागढ देहरादून को इस आशय से प्रेषित उपरोक्त तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जानी है। अतः आप स्वयं स्थल पर उपस्थित रहें। एवं स्थल से अपना सम्स्त सामान हटा ले। शेष नियम व शर्तें पूर्व प्रेषित पत्रांक 9366 दिनांक 16-5-24 ध्वस्तीकरण आदेश की शर्त यथावत रहेगी।



अधिशायी अभियन्ता/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

2-5-24

